न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास नमित मेहता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 17/17 उपनिवेशनविविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 3 मु. बज्जु

—प्रार्थी

: ब ना म :

अमरसिह पुत्र कालूराम यादव सा. कंवरपुरा तह. कोटपुतली जिला जयपुर

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. स्टेट की ओर से श्री गणेश गहलोत एड. राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आर.एस.भाटी

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 23.02.2021

1. प्रार्थी स्टेट उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं.3 मु. बज्जु की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.12 को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी श्री अमरसिंह पुत्र कालूराम यादव साकिन कंवरपुरा तह. कोटपुतली जिला जयपुर को आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.07 को चक 9 एमआरएम (ए) में मुरब्बा नं. 230/34 की 21.16 बीघा कमाण्ड व 1.14 अनकमाण्ड कुल 23.10 बीघा भूमि का नियम विरूद्ध आवंटन किया गया जिसे निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की सम्बन्धित पत्रावली मंगवाई गयी। उभयपक्ष की गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

3. स्टेट की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भुमि का आवंटन व विकय) नियम,1975 के अंतर्गत उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक चक 9 एमआरएम(ए) में मुरब्बा नं. 230/34 की 21.16 बीघा कमाण्ड व 1.14 अनकमाण्ड कुल 23.10 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। यह कि आवंटन विनिमय समिति की अनुशंषा बिना ही किया गया है एवं आवंटन पर्ची पर आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रकरण में निर्धारित प्रकिया पूरी किये बिना और आवंटन पर्ची में हेराफेरी के द्वारा आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भुमि का आवंटन व विकय) नियम,1975 के नियम 22(3) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को नियम विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है जिसके आवेदन पर आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा चक 3 एसएलएम में मुरब्बा नं. 218/58 में भूमि आवंटन की गयी थी। उक्त भूमि अनकमाण्ड व नाकाबिल काश्त होने पर अप्रार्थी के आवेदन पर आवंटन सलाहकर समिति की राय से अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को अन्य आरक्षित भूमि चक 9 एमआरएम ए में मु.नं. 230/34 में 21.16 बीघा कमाण्ड व 1.14 बीघा अनकमाण्ड कुल 23.10 बीघा भूमि विनिमय में आवंटित की गयी। जिसकी राशि जमा कराये जाने के बाद दिनांक 9.07.2007 को आवंटन आदेश पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी की आवंटन पर्ची में अध्यक्ष, आवंटन सलाहकर समिति के हस्ताक्षर मौजूद है जिस पर कोई गौर किये बिना नोटिस दिया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं किय गया है और ना ही अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि कोई गल्ती हुई है तो विभाग के स्तर पर हुई है । अपने कथनो व लिखित बहस के समर्थन में वकील अप्रार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट सं. 2654 से 2658/1999 अनुवान मूलचंद बनाम स्टेट निर्णय दिनांक 29.03.2000 आर आर डी 2001 पेज 133(सी), एआईआर 1954 एससी 1128 तथा एसबी रिट सं. 5248/1994 स्टेट बनाम कोशल्यादेवी आदि व 21 अन्य निर्णय दिनांक 08.01.1999 आरआरडी 2000 पेज 90 के उद्धरण प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र पत्र प्रार्थी नियम 22(3) उपनिवेशन आंवटन नियम,1975 खारिज फरमाया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा इस न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रार्थी स्टेट द्वारा आवंटन खारिज किये जाने के संबध में उठाये गये बिन्दू प्रकियात्मक कमियों के संबध में है जैसें आवंटन पर्ची पर सभी सदस्यो के हस्ताक्षर न होना तथा विनिमय समिति की अनुशंषा की कार्यवाही विवरण पत्रावली में लगा नहीं होना। साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को विनिमय में किए गए आवंटन को खारिज करने के संबध में है न कि मूल आवंटन आदेश को। ऐसी स्थिति में यदि केवल विनिमय में किए गये आवंटन आदेश को खारिज किया जाता है तो अप्रार्थी जिसको भूतर्पूक सैनिक कर्मचारी (Ex-Serviceman)कोटे में जमीन आवंटित हुई थी, उसकी मूल आवंटन की क्या स्थिति रहेगी, यह भी विचारणीय है। यह प्रार्थना पत्र प्रकियात्मक कमियो के आधार पर आवंटन खारिज करने के लिए लगाया गया था परन्तु प्रक्रियात्मक कमियां रखने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना पत्रावली से प्रमाणित नहीं होता है। बावजूद इसके पत्रावली पर आवंटन में प्रकियात्मक कमियां जैसे विनिमय समिति की बैठक आयोजित होने का प्रमाण नहीं होना व आवंटन पर्ची पर आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं होना, स्पष्ट है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में राज्य हित का ध्यान रखते हुए राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में अप्रार्थी को किए गये भू - आवंटन में नियमो का उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबध में आवंटन की विस्तृत जांच किया जाना न्यायेचित प्रतीत होता है।

6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 22(3) उपनिवेशन आवंटन नियम,1975 आंशिक रूप से स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र कालूराम यादव साकिन कंवरपुरा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर को आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 04.06.2007 को चक 9 एमआरएम (ए) में मुरब्बा नं. 230/34 की 21.16 बीघा कमाण्ड व 1.14 अनकमाण्ड कुल 23.10 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी, बज्जु को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किये जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य /सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में आवंटन/विनिमय से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजो एवं आवंटन पत्रावलियों की विधिवत विस्तृत जांच कर 3 माह में न्यायोचित एवं आवंटन नियमानुसार निर्णय पारित करे। अधीनस्थ कार्यालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी, बज्जु को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक **23.02.2021** को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर,बीकानेर